रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 1998/ कार्तिक 29, 1920
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 1998/KARTIKA 29, 1920

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1997

सं टीएएमपी/2/98-एमओपीटी/विज्ञापन/III/IV/असा./143/98.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा एम.ओ.एच.पी. उपस्कर के खराब हो जाने के कारण मुरगांव पत्तन न्यास द्वारा वसूले गए अधिक बर्थ भाड़ा-प्रभारों का वापस करने के बारे में मैसर्स आस्पिनवाल एण्ड कं. लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध को संलग्न अनुसूची के अनुसार अस्वीकार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं टीएएमपी/2/98-एमओपीटी

मैसर्स आस्पिनवाल एंड कं. लि. ..... आवेदक

बनाम

मुरगांव पत्तन न्यास (एम ओ पी टी) ..... गैर आवेदक

आदेश

(27 अक्तूबर, 1998 को पारित)

यह मामला एम ओ एच पी उपस्कर के खराब हो जाने के कारण मुरगांव पत्तन न्यास (एम ओ पी टी) द्वारा वसूले गए अधिक बर्थ भाड़ा प्रभारों को वापस करने के बारे में मैसर्स आस्पिनवाल एंड कं. लिमिटेड द्वारा दिए गए अभ्यावेदन से संबंधित है।

2. आवेदक का तर्क यह है कि बर्थ सं. 9 पर एम ओ पी टी के यांत्रिक अयस्क हैंडलिंग संयत्र में किसी खराबी के कारण 30 घंटे और 10 मिनट का विलम्ब हुआ जिसके लिए पत्तन ने विलम्ब शुल्क वसूल किया। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक को वित्तीय नुकसान भी हुआ क्योंकि जलयान को अन्यथा निरन्तर नियोजित किया गया होता। उन्होंने इस मामले को एम ओ पी टी के साथ उठाया। परन्तु एम ओ पी टी ने विलम्ब शुल्क की छूट देने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस (अस्वीकृति) आदेश से खिन्न होकर आवेदक ने अपनी शिकायत के समाधान के लिए इस प्राधिकरण को लिखा है।

3. एम ओ पी टी का तर्क यह है कि उनके विनियमों की धारा 44 के अनुसार पत्तन किसी जलयान के लदान में हुए किसी विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है।

4. प्रदान न की गई सेवाओं अथवा न दी गई सुविधाओं के लिए प्रभार लगाने से संबंधित मामले पर फरवरी 98 में चेन्नई में आयोजित प्रशुल्क विनियमन दिशा निर्देश संबंधी कार्यशाला में विचार किया गया था। इसे पारित दिशा-निर्देशों में भी दर्शाया गया है। दिशा निर्देश सं. 41 में न की गई सेवाओं के लिए धन वापसी के बारे में विचार किया गया है।

5. प्रभारों से छूट देने के संबंध में सरकार और/अथवा न्यासी बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाती है। जहां तक प्रशुल्क विनियमन को शासित करने वाले सिद्धांतों का संबंध है, कोई सामान्य निर्णय नहीं लिए गए हैं। इन्हें चेन्नई कार्यशाला में पारित दिशा निर्देशों से तैयार किया जाना था। दुर्भाग्यवश यह कार्य अभी नहीं हुआ है। जब भी यह कार्य होगा तो सिद्धांतों को केवल भावी प्रभाव से ही लागू किया जा सकता है। आवेदक के मामले के संबंध में कार्यवाही करने के लिए उन्हें पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में आवेदक के पक्ष में दिशा निर्देश सं. 41 में निहित सिद्धांतों से इस समय पर कोई वास्तविक लाभ नहीं हो सकता।

6. फलत: उपर्युक्त कारणोंवश आवेदक को अनुमति प्रदान नहीं की जाती।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1998

No. TAMP/2/98-MOPT/ADVT/III/IV/Exty/143/98.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby rejects the request made by M/s. Aspinwall and Co. Limited about refund of excess berth hire charges by the Mormugao Port Trust on account of breakdown of MOHP equipment, as in the Schedule appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/2/98-MOPT

M/s Aspinwall and Co. Limited ..... **Applicant**

V/s

The Mormugao Port Trust (MOPT) ..... **Non-Applicant**

ORDER

(Passed on this 27th day of October, 1998)

This case relates to a representation made by M/s. Aspinwall and Co. Limited about refund of excess berth hire charges by the Mormugao Port Trust (MOPT) on account of breakdown of MOHP equipment.

2. The Applicant's contention is that due to some problem in the loading arms of the MOPT's mechanical ore handling plant at Berth No. 9, there was a delay upto 30 hours and 10 minutes for which the Port has charged demurrage. It has additionally been contended that the Applicant has also suffered financially as the vessel would have otherwise been employed continuously. The matter was taken up by them with the MOPT. But, their request for a waver of the demurrage was rejected by the MOPT. Aggrieved by this (rejection) order, the Applicant has approached this Authority for redressal of their grievance.

3. It is MOPT's contention that, as per Section 44 of their Regulations, the Port is not liable for any delay in loading of a vessel.

4. The matter regarding levy of charges for services not provided or facilities not extended was considered in the Workshop on Guidelines for Tariff Regulation held in Chennai in February 98. This has also been reflected in the Guidelines Adopted. Guideline No. 41 talks about refunds for services not rendered.

5. Waiver of charges are dealt with by the Government and/or the Board of Trustees. As regards principles governing tariff regulation, no general decision have been taken. These were to evolve from the Guidelines Adopted at the Chennai Workshop. Unfortunately, this has not yet happened. Whenever it does happen also, the principles can only be applied prospectively. They can not be given retrospective operation to cover the Applicant's case. In the event, there can be no real benefit at this stage from the principles underlying Guideline No. 41 in favour of the Applicant.

6. In the result, and for the reasons given above, the application is disallowed.

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.